

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 383—407

Dated 23-3-2013

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013

सा.का.नि. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') नियम, 2013 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
 - (ख) “नियंत्रक प्राधिकारी” से भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभिप्रेत है;
 - (ग) “विभागीय अभ्यर्थी” से ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जिन्हें आयोग के परामर्श से या विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जो समूह 'क' पद धारण करते हैं या निम्नलिखित पदों पर धारणाधिकार रखते हैं,—
 - (i) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से अनुसूची I में विनिर्दिष्ट पद; और
 - (ii) सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात् ऐसे काडरकरण की तारीख को सेवा में काडरकृत और अनुसूची I में सम्मिलित पद;
 - (घ) “विभागीय प्रोन्नति समिति” से किसी भी श्रेणी में प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
 - (ङ) “ड्यूटी पद” से अनुसूची I में सम्मिलित कोई भी पद अभिप्रेत है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी;
 - (च) “परीक्षा” से भारतीय सूचना सेवा और ऐसी अन्य सेवा या सेवाओं पर जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, भर्ती करने के लिए आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से मिलकर संचालित की जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है ;
 - (छ) “सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है;
 - (ज) “श्रेणी” से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है;
 - (झ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” में वे जातियां और समुदाय सम्मिलित होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं;
 - (ञ) किसी भी श्रेणी में नियमन के लिए “नियमित सेवा” से दीर्घावधि नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमित आधार पर चयन के पश्चात् उस श्रेणी में दी गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई भी अवधि या अवधियां भी हैं —
 - (i) जो प्रारंभिक गठन पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई हों;
 - (ii) जिनके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कोई ड्यूटी पद धारण करता किंतु छुट्टी या किसी अन्य कारण से ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था;
 - (ट) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (ठ) “अनुसूचित जातियों” और “अनुसूचित जनजातियों” का अभिप्राय वही होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और (25) में उनका है;
 - (द) “सेवा” से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') अभिप्रेत है;

3. भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' का गठन.—भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') के रूप में ज्ञात एक सेवा होगी जो नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगी और उस सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' पद के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

4. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन.—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनका पदनाम, संख्या, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और मंत्रालय या विभाग या कार्यालयवार विभाजन अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट होगा और अनुसूची में यथा उल्लिखित विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित ड्यूटी पद एक दूसरे के स्थान पर अंतरपरिवर्तनीय होंगे।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या व होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(3) सरकार, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की संख्या को अस्थायी रूप से इस प्रकार जोड़ या काट सकेगी जो समय-समय पर उचित समझा जाए।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी भी अन्य पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से निकाल सकेगी।

(5) सरकार, आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उप नियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, अस्थायी हैसियत या अधिष्ठायी हैसियत में सेवा की समुचित श्रेणी में इस प्रकार नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे और सदृश श्रेणी में लगातार नियमित सेवा को हिसाब में लेकर उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

5. सेवा के सदस्य.—(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे —

(i) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति; और

(ii) नियम 4 के उप नियम (5) और नियम (7) के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उप नियम (1) के खंड (i) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को, ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उप नियम (1) के खंड (ii) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को, ऐसी नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन.—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पद धारण करने वाले भारतीय सूचना सेवा के विद्यमान अधिकारियों को सेवा के तत्स्थानी पदों और श्रेणियों में, यथास्थिति, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) सेवा में नियुक्ति से पूर्व उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित लगातार सेवा की गणना परीक्षा अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टिकरण, ज्येष्ठता, अकृत्यिक उन्नयन और सेवा में पेंशन के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

(3) उस सीमा तक, जहां तक नियंत्रक प्राधिकारी, इस नियम के उपबंधों के अनुसार सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या को भरने में समर्थ नहीं है तो उसे नियम 7 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

(4) इस नियम में अध्यक्ष या आयोग के किसी सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति चयन समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी परंतु यह तब जब सदस्य को सम्यक् रूप से आमंत्रित किया गया था किंतु व्यस्तता के कारण वह विभागीय प्रोन्नति समिति के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सका जिसके लिए सदैव लिखित में तुरंत सूचना भेजी जाएगी, परंतु ऐसा भी तब जब बैठक में विभागीय प्रोन्नति समिति गठित करने वाले सदस्यों की बहु संख्या उपस्थित हो।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण.—(1) नियम 6 में यथा उपबंधित सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात् अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में उद्भूत किसी भी रिक्ति को इस नियम के अधीन, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरा जाएगा।

(2)(i) कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में 50% रिक्तियां अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा के आधार पर आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम और किसी ऐसी परीक्षा की स्कीम, जो सरकार द्वारा समय-समय पर आयोग के परामर्श से अधिसूचित की जाए, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(ii) 50% रिक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा चयन के आधार पर और उस श्रेणी के लिए किसी पैनल में सम्मिलित अधिकारियों की प्रोन्नति के सुसंगत क्षेत्र से ज्येष्ठता के क्रम में और अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

(3) ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी या उससे ऊपर के पदों पर सेवा में नियुक्तियां अनुसूची III और अनुसूची V में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा सहित अगली निम्नतर श्रेणी के अधिकारियों में से की जाएंगी।

(4) सेवा की विभिन्न श्रेणियों पर पदोन्नति, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) पदों के सिवाय, अनुसूची IV के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन द्वारा की जाएगी। कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में के पदों पर नियुक्ति अनुसूची V के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर अचयन आधार पर की जाएगी।

8. **परिवीक्षा.**—(1) कनिष्ठ श्रेणी में या तो सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परंतु नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने के लिए कोई भी विनिश्चय पूर्व परिवीक्षा की अवधि के अवसान के पश्चात् सामान्यतः आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को लिखित में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूर्ण होने पर अधिकारी को, यदि स्थायी नियुक्ति के योग्य समझा जाए तो उनकी नियुक्ति नियमित आधार पर प्रतिधारित कर दी जाएगी और यथास्थिति उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्तियों के विरुद्ध सम्यक् प्रक्रम में उसकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो वह अधिकारी को, यथास्थिति, सेवामुक्त या सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार, अभ्यर्थी से प्रशिक्षण और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रम पूरे करने और (हिन्दी में परीक्षा सहित) परीक्षाएं और परीक्षण पास करने की अपेक्षा कर सकेगी जो सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में ठीक समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य विषयों की बाबत सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. **ज्येष्ठता.**—(1) सेवा के प्रारंभिक गठन के समय किसी भी श्रेणी में नियम 6 के अनुसार नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता, उनकी इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर अभिप्राप्त सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होगी :

परंतु यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है तो उसे सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सरकार के अधीन वैसी ही सेवाओं के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) सेवा में नियम 4 के उप नियम (5) के अनुसार नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता इस विषय में समय-समय पर नियत की जाएगी।

(4) उप नियम (1) से (3) के अधीन नहीं आने वाले मामलों में व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

10. प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों का भरा जाना (अल्पावधि संविदा सहित).—सरकार किसी भी श्रेणी में, उस श्रेणी की मंजूर संख्या के 10% से अनधिक पदों की संख्या को आयोग के परामर्श से केन्द्रीय या राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, अर्ध-सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले या क्रमिक श्रेणी में प्रोन्नत अधिकारियों के लिए यथा विहित ऐसी अवधि के लिए जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, नियमित अर्हक सेवा सहित अगली निम्नतर श्रेणी का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा कर सकेगी। इस प्रकार भरे गए पद को प्रोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या अवधारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

11. सेवा में नियुक्ति.—सेवा में सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

12. अकृत्यिक उन्नयन.—(1) जब कभी राज्य या संयुक्त काडर के किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी का वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 में किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाली विशिष्ट श्रेणी पर पदस्थान किया जाता है तो भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के बैच से संबंधित ऐसे अधिकारियों को, जो उससे दो वर्ष या उससे अधिक ज्येष्ठ है और जिनकी उस विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नति अभी तक नहीं की गई है, को भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के केन्द्र में उस विशिष्ट श्रेणी में पदस्थान की तारीख से, अनुसूची VI के अनुसार गठित छान बीन समिति की सिफारिशों पर अकृत्यिक आधार पर वहीं श्रेणी प्रदान कर दी जाएगी।

(2) किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन पर उन्नयन के लिए 'संदर्भिका' सहित सभी विहित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति सन्धियम उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए छानबीन करने के समय डीओपीटी ओ एम सं. एबी 14017/64/2008-स्था. (आरआर) तारीख 24 अप्रैल, 2009 के उपाबंध-1 के अनुसार पूरे करने होंगे।

(3) अकृत्यिक आधार पर उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के अन्य निबंधन और शर्तें इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार होंगे।

13. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें.—(1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में और भारत के बाहर कहीं भी सेवा करने के दायी होंगे।

(2) उन विषयों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वहीं होंगी जो समय-समय पर साधारणतः केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों को लागू हैं।

14. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. शिथिल करने की शक्ति.—

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

16. व्यावृत्ति.—

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

17. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

18. निरसन.—(1) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय सूचना सेवा नियम, 1987, जहां तक वे समूह 'क' और इन नियमों में समावेश किए गए पदों से संबंधित हैं, निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन की गई किसी भी बात या कार्रवाई को इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. 6600 रु. ग्रेड वेतन सहित	159* (2013)	सहायक प्रेस रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार जन संपर्क अधिकारी उप निदेशक उप निदेशक उप निदेशक संपादक कापी टेस्टर उप निदेशक (मीडिया और संचार) उप निदेशक (समाचार) उप निदेशक विशेष कार्य अधिकारी वार्तालाप अधिकारी उप निदेशक (समाचार)/ ज्येष्ठ संवाददाता जन संपर्क अधिकारी विशेष संवाददाता (विदेश)	भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार का कार्यालय विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय जन संपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय क्षेत्र प्रचार निदेशालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रकाशन प्रभाग सैनिक समाचार, जन संपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय समाचार सेवाएं प्रभाग महा निदेशालय : आकाशवाणी प्रेस सूचना ब्यूरो महा निदेशालय : दूरदर्शन अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय विदेश प्रचार प्रभाग महा निदेशालय : आकाशवाणी समाचार सेवाएं प्रभाग, महा निदेशालय : आकाशवाणी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय समाचार सेवाएं प्रभाग, महा निदेशालय, आकाशवाणी	5 3 10 5 2 12 1 2 32 44 1 1 3 36 1 1
7.	कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. 5400 रु. ग्रेड वेतन सहित	250* (2013)	सहायक संपादक सहायक संपादक सहायक निदेशक (मीडिया और संचार)	विदेश सेवाएं प्रभाग, महा निदेशालय : आकाशवाणी प्रकाशन प्रभाग प्रेस सूचना ब्यूरो	1 19 44

(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	16
सहायक निदेशक (समाचार)/ समाचार रिपोर्टर/संवाददाता	समाचार सेवाएं प्रभाग, महा निदेशालय : आकाशवाणी	63
सहायक निदेशक (समाचार)/ समाचार रिपोर्टर/संवाददाता	महा निदेशालय : दूरदर्शन	58
सहायक निदेशक/सहायक निदेशक (मानीटर)	इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग सेंटर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2
सहायक निदेशक	क्षेत्र प्रचार निदेशालय	39
सहायक निदेशक	अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण विभाग	1
संदर्भ अधिकारी	प्रधानमंत्री कार्यालय	1
सहायक आचार्य (विज्ञापन)	भारतीय जन संचार संस्थान	1
सहायक जन संपर्क अधिकारी	जन संपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय	5

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुसूची II

[नियम 7(2)(i) देखिए]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' में सम्मिलित किए गए कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में समूह 'क' पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा। किसी अभ्यर्थी के पास :

- (i) भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षिक संस्थान या सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षिक संस्थान या सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय की कोई डिग्री है या ऐसी शैक्षिक अर्हता रखता है जिसे सरकार द्वारा परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की गई है;

टिप्पण 1 : आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई नहीं है, शैक्षिक रूप से अर्हित मान सकेगा; परंतु यह तब जब कि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उसने अन्य संस्थानों द्वारा संचालित ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जिसका स्तर आयोग की राय में परीक्षा में उसके प्रवेश को न्यायोचित ठहराता है।

टिप्पण 2 : ऐसा अभ्यर्थी भी जिसके पास ऐसी वृत्तिक और तकनीकी अर्हताएं हैं जो सरकार द्वारा वृत्तिक और तकनीकी डिग्री के समतुल्य मान्यता प्राप्त हैं, परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

- (ii) उस वर्ष में जिसमें परीक्षा ली जाती है, 1 अगस्त को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किंतु 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

अनुसूची III

[नियम 7(2)(ii) और नियम 7(3) देखिए]

भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए ड्यूटी पदों के संबंध में प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ठीक नीचे की श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा :

क्रम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन सं. या वेतनमान	भर्ती की पद्धति	चयन श्रेणी का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतर ग्रेड वेतन बैंड - 80,000 रु. (नियत)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)	चयन श्रेणी के अधिकारी जिनकी उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)। केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने उच्च प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड में 67,000 (वार्षिक वेतन वृद्धि 3%) - 79,000 रु. या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो।
2.	चयन श्रेणी उच्च प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-67,000 (वार्षिक वेतन वृद्धि 3%) - 79,000 रु.	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत अकृत्यक चयन सेवा भी है, यदि कोई हो; या सेवा में समूह 'क' पदों के ऐसे अधिकारी जिनकी 25 वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए।
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. ग्रेड वेतन 10,000 रु. सहित	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत अकृत्यक चयन श्रेणी में सेवा, यदि कोई हो, भी है ; या सेवा में समूह 'क' पदों पर ऐसे अधिकारी जिनकी 17 वर्ष की नियमित सेवा हो जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में हो (जिसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यक चयन श्रेणी में की गई सेवा भी है)।

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. सहित	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
5.	ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 6600 रु. सहित	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की है।
6.	कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 5400 रु. सहित	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियम 7 के उपनियम (2)(i) के अनुसार	वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु. सहित के वेतनमान भारतीय सूचना सेवा की ज्येष्ठ श्रेणी में समूह 'ख' के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

अनुसूची IV

[नियम 6(4) और नियम 7(4) देखिए]

भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') में सम्मिलित समूह 'क' पदों की प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्रम सं.	पद का नाम, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए)	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतर ग्रेड वेतन बैंड-80,000 रु. (नियत)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय—सदस्य	
2.	चयन श्रेणी उच्च प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-67,000 – (वार्षिक वेतन वृद्धि 3%) 79,000 रु.	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. प्रधान महा निदेशक (मीडिया और संचार), प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-4 37,400-67,000 रु. ग्रेड वेतन 10,000 रु. सहित	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. प्रधान महा निदेशक (मीडिया और संचार), प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य	
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. सहित	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. प्रधान महा निदेशक (मीडिया और संचार), प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य 3. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	
5.	ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 6600 रु. सहित	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. प्रधान महा निदेशक (मीडिया और संचार), प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य 3. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, स्थापन प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग—सदस्य	
6.	कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 5,400 रु. सहित	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भारतीय सूचना सेवा से संबद्ध)—सदस्य 3. अपर महा निदेशक (प्रशासन), प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य	1. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भारतीय सूचना सेवा से संबद्ध)—अध्यक्ष 2. अपर महा निदेशक (प्रशासन), प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य 3. अपर महा निदेशक (भार साधक), प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली—सदस्य

अनुसूची V

[नियम 7(5) देखिए]

भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नतर श्रेणियों में न्यूनतम अर्हक सेवा तथा भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' में सम्मिलित किए गए कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

श्रेणी	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में विचार करने के लिए चयन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. ग्रेड वेतन 8700 रु. सहित	उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता द्वारा प्रोन्नति ।	सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी जिन्होंने उस परीक्षा, जिसके आधार पर उस सदस्य को भर्ती किया गया था, की आगामी वर्ष से संगणति वर्ष 1 जनवरी को समूह 'क' पदों में सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया हो ।	1. प्रधान महा निदेशक (मीडिया और संचार), प्रेस सूचना ब्यूरो—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशासन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय—सदस्य

“टिप्पण : कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय सूचना सेवा समूह ‘क’ के कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रोन्नति की पद्धति द्वारा सेवा में प्रवेश किया है, को भी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में नियुक्ति का पात्र समझा जाएगा, परंतु यह तब जब उन्होंने, उन अधिकारियों के साथ, जिन्होंने सीधी भर्ती पद्धति के माध्यम से सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, ज्येष्ठता शासित करने वाले नियमों का अनुसरण करते हुए समूह ‘क’ सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया हो।”

अनुसूची VI

[नियम 12(1) देखिए]

वेतन बैंड-3 और वेतन बैंड-4 में भारतीय सूचना सेवा समूह ‘क’ के अधिकारियों के लिए अकृत्यिक उन्नयन पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना

क्रम सं.	पद का नाम, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान जिस पर उन्नयन किया जाना है	छानबीन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	चयन श्रेणी उच्च प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-67,000-(वार्षिक वेतन वृद्धि 3%)-79,000 रु.	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. प्रधान महा निदेशक (मीडिया और संचार), प्रेस सूचना ब्यूरो—सदस्य 3. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग का विशेष सचिव—सदस्य
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-4 37,400-67,000 रु. ग्रेड वेतन 10,000 रु. सहित	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. प्रधान महा निदेशक (मीडिया और संचार), प्रेस सूचना ब्यूरो—सदस्य 3. अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रु. ग्रेड वेतन 8,700 रु. सहित)	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. अपर महा निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 7,600 रु. सहित)	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. अपर महा निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य
5.	ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी (वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. ग्रेड वेतन 6,600 रु. सहित)	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. अपर महा निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली—सदस्य

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2013

G.S.R. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely :— :

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Information Service (Group 'A') Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) **"Commission"** means the Union Public Service Commission;
- (b) **"controlling authority"** means the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting;
- (c) **"departmental candidates"** means officers who have been appointed on regular basis in consultation with the Commission or on the recommendations of a Departmental Promotion Committee and who hold Group 'A' posts or hold lien on posts,—
 - (i) specified in Schedule I on the date of commencement of these rules; and
 - (ii) encadred in the service and included in Schedule I, after the initial constitution of the service, on the date of such encadrement;
- (d) **"Departmental Promotion Committee"** means a Committee constituted to consider promotion and confirmation in any grade;
- (e) **"duty post"** means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule I;
- (f) **"examination"** means a Combined Competitive Examination consisting of a preliminary examination and a main examination conducted by the Commission for a recruitment to the Indian Information Service and such other Service or Services as may be specified by the Commission from time to time;
- (g) **"Government"** means the Government of India;
- (h) **"grade"** means a grade of the Service;
- (i) **"Other Backward Class"** shall comprise the castes and communities as may be notified by the Central Government from time to time;
- (j) **"regular service"** in regulation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection on a regular basis according to the prescribed procedure for long term appointment to that grade and includes any period or periods—
 - (i) taken into account for purposes of seniority in case of those appointed at the initial constitution;
 - (ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;
- (k) **"Schedule"** means a schedule appended to these rules;
- (l) **"Scheduled Castes"** and **"Scheduled Tribes"** shall have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.
- (m) **"Service"** means the Indian Information Service (Group 'A') constituted under rule 3.

3. **Constitution of the Indian Information Service Group 'A'.**—There shall be a service known as the Indian Information Service (Group 'A') consisting of persons appointed to the service under rules 6 and 7 and all the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

4. **Grades, authorised strength and its review.**—(1) The duty posts included in the various grades of the service, their designations, numbers, Pay Band and Grade Pay and Ministry or Department or Office-wise break-up on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I and the duty posts included in the particular grade as mentioned in the schedule would be inter-changeable with one another.

(2) After the commencement of these rules, the authorised strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

1238 I & B/13-4

(3) The Government may make temporary additions or deletions to the strength of the duty posts in various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any posts other than those included in Schedule I or exclude from the service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

5. Members of the service.—(1) The following persons shall be the members of service—

- (i) persons appointed to duty posts under rule 6; and
- (ii) persons appointed to duty post under sub-rule (5) of rule 4 and rule 7.

(2) A person appointed under clause (i) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.

(3) A person appointed under clause (ii) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the service.—(1) The existing officers of the Indian Information Service holding posts in various grades on regular basis, on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to corresponding posts and grades in the Service in substantive or officiating capacity, as the case may be.

(2) The regular continuous Service of officers referred to in sub-rule (1) prior to their appointment to Service shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation, seniority, Non Functional Upgradation and pension in the service.

(3) To the extent, the controlling authority is not able to fill the authorised regular strength of various grades in the Service in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7.

(4) In this rule, the absence of a member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee, provided that the member was duly invited but could not participate in the deliberations of the Departmental Promotion Committee due to pre-occupation, information for which will be invariably sent immediately in writing, provided further that the majority of the members constituting the Departmental Promotion Committee are present in the meeting.

7. Future maintenance of the service.—(1) Any vacancy arising in any of the grades referred to in Schedule I after the initial constitution of the Service as provided in rule 6, shall be filled in the manner hereinafter provided under this rule.

- (2) (i) 50% of the vacancies in the Junior Time Scale Grade shall be filled by direct recruitment on the results of a combined competitive examination conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age limits as specified in Schedule II and any scheme of examination as may be notified by the Government in consultation with the Commission from time to time.
- (ii) 50% vacancies shall be filled by the controlling authority by promotion of officers on the basis of selection and included in a panel for the said grade in the order of seniority from the relevant field of promotion and the minimum qualifying service as specified in Schedule III.

(3) Appointments in the service to posts in Senior Time Scale Grade or above shall be made from amongst the officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in Schedule III and Schedule V.

(4) Promotion to various grades of the service shall be made by selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule IV, except for promotion to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) posts. Appointment to posts in Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be made on non-selection basis on the recommendations of a Selection Committee constituted in accordance with Schedule V.

8. Probation.—(1) Every officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Grade shall be on probation for a period of two years :

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge or, revert the officer, as the case may be, to the post held by him prior to his appointment, in the Service.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examinations in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

9. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the Service appointed to any grade in accordance with rule 6 at the time of initial constitution of the service, shall be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined by the Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training in accordance with the rules applicable to members of the similar services under the Government.

(2) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(3) The seniority of officers appointed to the Service in accordance with sub-rule (5) of rule 4 shall be fixed in the matter from time to time.

(4) In the cases not covered under sub-rule (1) to (3), seniority of persons shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. Filling posts by deputation (including short term contract).—The Government may fill, in consultation with the Commission, in any grade, number of posts not exceeding 10% of the sanctioned strength of that grade by appointment on deputation (including short term contract) of officers under the Central or State Governments, Public Sector Undertakings, Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations, holding analogous posts on regular basis or posts in the next lower grade with regular qualifying service as prescribed for promotee officers for the respective grade for such period as the Government may specify from time to time. The posts so filled shall be taken into account for determining the number of posts to be filled by promotion or by direct recruitment.

11. Appointment to the service.—All appointments to the Service shall be made by the controlling authority.

12. Non-Functional Upgradation.—(1) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4, the officers belonging to batch of Indian Information Service Group 'A' who are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre on the recommendation of Screening Committee constituted in accordance with Schedule VI.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular grade pay shall have to be met at the time of screening for grant of higher pay-scale as per Annexure I of DoP&T O.M. No. A.B. 14017/64/2008-Estt. (RR) dated 24th April, 2009.

(3) The other terms and conditions for grant of higher pay scale on Non-Functional basis shall be as per orders and instructions issued on the matter by the Central Government from time to time.

13. Liability for service in any part of India and other conditions of service.—(1) Officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) The conditions of service of the members of the service in respect of matters for which provision is made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of the Central Civil Services in general.

14. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the posts :

Provided that the Government may, if satisfied, that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

17. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government who shall decide the same.

18. Repeal.—(1) The Indian Information Service Rules, 1987, as amended from time to time insofar as they relate to Group 'A' posts and covered by these rules, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE—I

(See rule 4)

Name, Number Pay Band and Grade Pay of Duty Posts included in the various Grades of Indian Informations Service (Group 'A')

S. No.	Pay Band and Grade Pay or pay scale	Total No. of posts	Designation	Ministry/Department	No. of posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Higher Grade Pay Band – Rs. 80,000 (fixed)	1* (2013)	Principal Director General (Media and Communications)	Press Information Bureau	1
2.	Selection Grade Higher Administrative Grade Pay Band – Rs. 67,000 – (annual increment 3%) – 79,000	6* (2013)	Director General (News) Director General Director General	News Services Division Directorate General : All India Radio Directorate of Advertising and Visual Publicity Directorate of Field publicity	1 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Contd.		Director General (Media and Communications)	Press Information Bureau	1
			Press Registrar	Office of the Registrar of Newspapers for India	1
			Director General (News and Current Affairs)	Directorate General : Doordarshan	1
3.	Senior Administrative Grade Pay Band-4, Rs. 37,400- 67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000	36* (2013)	Additional Director General (Incharge, Publications Division)	Publications Division	1
			Additional Director General (Incharge, Research Reference Training Division)	Research, Reference and Training Division	1
			Additional Director General (Administration)	News Services Division Directorate General : All India Radio	1
			Additional Director General, (General News Room)	News Services Division Directorate General : All India Radio	1
			Additional Director General (Hindi News Room, Reporting, Talks and Current Affairs)	News Services Division Directorate General : All India Radio	1
			Additional Director General (Indian Languages)	News Services Division Directorate General : All India Radio	1
			Special Correspondents (Abroad)	News Services Division Directorate General : All India Radio	2
			Additional Director General (Media and Communications)	Press Information Bureau	22
			Additional Director General (News and Current Affairs)	Directorate General : Doordarshan	2
			Additional Director General	Directorate of Advertising and Visual Publicity	2
			Additional Director General	Directorate of Field Publicity	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) Pay Band-4, Rs. 37,400 67,000 with Grade Pay of Rs. 8,700	—	Director (Media and Communication) – Press Information Bureau Director (News) – All India Radio/ Doordarshan Director – (Research Reference and Training Division, Publications Divisions, Directorate of Field Publicity, Directorate of Advertising and Visual Publicity)		30% of Senior Duty Posts (i.e., all duty posts at the level of Senior Time Scale Grade and above) in the Cadre but not more than the number of posts mentioned in the Junior Administrative Grade.
5.	Junior Administrative Grade Pay Band-3, Rs. 15,600 39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600	121* (2013)	Chief Editor Chief (Media) Joint Director (Media and Communications) Director (Media) Deputy Press Registrar Editor-in-Chief Special Correspondent (Abroad) Joint Director Joint Director Joint Director Joint Director	Publications Division Ministry of Health and Family Welfare Press Information Bureau Ministry of Rural Development Office of the Registrar of Newspaper for India Sainik Samachar, Directorate of Public Relations (Defence), Ministry of Defence. News Services Division Directorate General : All India Radio Directorate of Field Publicity Research, Reference and Training Division Publications Division Directorate of Public Relations, Ministry of Defence	2 1 38 1 2 1 4 21 2 3 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Contd.		Joint Director	Electronic Media Monitoring Centre, Ministry of Information and Broadcasting	1
			Joint Director	Directorate of Advertising and Visual Publicity	12
			Joint Director	News Services Division Directorate General : All India Radio	15
			Joint Director	Directorate General : Doordarshan	15
			Associate Professor	Indian Institute of Mass Communication	1
			Director (Media)	Department of J&K Affairs, Ministry of Home Affairs	1
6.	Senior Time Scale Grade Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 6,600	159* (2013)	Assistant Press Registrar	Office of the Registrar of Newspapers for India	5
			Deputy Director	Directorate of Advertising and Visual Publicity	3
			Public Relations Officer	Directorate of Public Relations, Ministry of Defence	10
			Deputy Director	Directorate of Field Publicity	5
			Deputy Director	Electronic Media Monitoring Centre, Ministry of Information and Broadcasting	2
			Deputy Director	Publications Division	12
			Editor	Sainik Samachar, Directorate of Public Relations, Ministry of Defence	1
			Copy Tester	News Services Division Directorate General : All India Radio	2
			Deputy Director (Media and Communications)	Press Information Bureau	32
			Deputy Director (News)	Directorate General : Doordarshan	44
			Deputy Director	Research, Reference and Training Division	1
			Officer on Special Duty	Ministry of Information and Broadcasting	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Contd.		Talks Officer	External Publicity Division, Directorate General : All India Radio	3
			Deputy Director (News)/Senior Correspondent	News Services Division, Directorate General : All India Radio	36
			Public Relations Officer	Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs	1
			Special Correspondent (Abroad)	News Services Division, Directorate General : All India Radio	1
7.	Junior Time Scale Grade Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400	250* (2013)	Assistant Editor	External Services Division Directorate General : All India Radio	1
			Assistant Director	Publications Division	19
			Assistant Director (Media and Communications)	Press Information Bureau	44
			Assistant Director	Directorate of Advertising and Visual Publicity	16
			Assistant Director (News)/News Reporters/Correspondents	News Services Division, Directorate General : All India Radio	63
			Assistant Director (News)/News Reporters/Correspondents	Directorate General : Doordarshan	58
			Assistant Director/ Assistant Director (Monitor)	Electronic Media Monitoring Centre, Ministry of Information and Broadcasting	2
			Assistant Director	Directorate of Field Publicity	39
			Assistant Director	Research, Reference and Training Division	1
			Reference Officer	Prime Minister's Office	1
			Assistant Professor (Advertising)	Indian Institute of Mass Communication	1
			Assistant Public Relation Officer	Directorate of Public Relations, Ministry of Defence	5

*Subject to variation dependent on workload.

SCHEDULE II

[See rule 7(2)(i)]

Minimum educational qualifications and age-limit for direct recruitment to posts in Group 'A' in Junior Time Scale Grade included in the Indian Information Service Group 'A' on the results of the Competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission. A candidate shall possess :

- (i) A degree of any university incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or a foreign University approved by Government from time to time or possess qualification which has been recognised by the Government for the purpose of admission to the examination;

Note 1 : In exceptional cases, the Commission may treat a candidate not possessing any of the above qualifications as educationally qualified; provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which, in the opinion of the Commission, justified his admission to the examination.

Note 2 : A candidate possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent in professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

- (ii) Attained the age of 21 years but must not have attained the age of 30 years on the first day of August of the year in which the examination is held.

SCHEDULE III

[See rule 7(2)(ii) and rule 7(3)]

Method of Recruitment, Field of Promotion and Minimum Qualifying service in the next Lower Grade for appointment of Officers on promotion to duty posts included in the various Grades of the Indian Information Service (Group 'A')

Sl. No.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Method of Recruitment	Field of Selection Grade and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Higher Grade Pay Band— Rs. 80,000 (Fixed)	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)	Officers of the Selection Grade with two years' regular service in the grade. Deputation (including short-term contract) Officers under the Central Government or Union Territories or Autonomous Bodies or Public Sector Undertaking or Statutory Organisations or Research Institutions or Universities : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in Higher Administrative Grade Pay Band Rs. 67,000—(annual increment 3%)—Rs. 79,000 or equivalent.
2.	Selection Grade Higher Administrative Grade Pay Band —Rs. 67,000 (annual increment 3%)— Rs. 79,000	By promotion	Officers of Senior Administrative Grade with three years' regular service in the grade ; or Officers with 25 years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which atleast one year regular service should be in the Senior Administrative Grade.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Senior Administrative Grade Pay Band-4, Rs. 37,400 – 67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000	By promotion	Officers of Junior Administrative Grade with eight years' regular service including service, if any, in the Non-Functional Selection Grade ; or Officers with 17 years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which atleast four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade).
4.	Junior Administrative Grade Pay Band-3, Rs. 15,600 – 39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600	By promotion	Officers in the Senior Time Scale Grade with five years' regular service in the grade.
5.	Senior Time Scale Grade Pay Band-3, Rs. 15,600 – 39,100 with Grade Pay of Rs. 6,600	By promotion	Officers in the Junior Time Scale Grade with four years' regular service in the grade.
6.	Junior Time Scale Grade Pay Band-3, Rs. 15,600 – 39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400	(i) 50% by promotion (ii) 50% by direct recruitment in accordance with rule 7(2)(i)	Officers in the Senior Grade of Indian Information Service, Group 'B' in the Pay Band-2, Rs. 9,300–34,800 with Grade Pay' of Rs. 4,600 with five years' regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.

Note 2 : For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Central Pay Commission.

SCHEDULE IV

[See rule 6(4) and rule 7(4)]

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Cases of Promotion and Confirmation of Group 'A' Posts included in the Indian Information Service (Group 'A')

Sl. No.	Name of the post, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Group 'A' DPC (for considering promotion or appointment)	Group 'A' DPC (for considering confirmation)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Higher Grade Pay Band – Rs. 80,000 (Fixed)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 3. Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Selection Grade Higher Administrative Grade Pay Band - Rs. 67,000-(annual increment 3%)- 79,000	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 3. Principal Director General (Media and Communications), Press Information Bureau, New Delhi—Member	
3.	Senior Administrative Grade Pay Band-4, Rs. 37,000 - 67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 3. Principal Director General (Media and Communications), Press Information Bureau, New Delhi—Member	
4.	Junior Administrative Grade Pay Band-3, Rs. 15,600 - 39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Principal Director General (Media and Communications), Press Information Bureau, New Delhi—Member 3. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member	
5.	Senior Time Scale Grade Pay Band-3, Rs. 15,600 - 39,100 with Grade Pay of Rs. 6,600	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman 2. Principal Director General (Media and Communications), Press Information Bureau, New Delhi—Member 3. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 4. Director or Deputy Secretary, Establishment Division, Department of Personnel and Training—Member	
6.	Junior Time Scale Grade Pay Band-3, Rs. 15,600 - 39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (Dealing with Indian Information Services) —Member 3. Additional Director General (Administration), Press Information Bureau, New Delhi—Member	1. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (Dealing with Indian Information Services) —Chairman 2. Additional Director General (Administration), Press Information Bureau, New Delhi —Member 3. Additional Director General (Incharge), Publications Division, New Delhi —Member

SCHEDULE V

[See rule 7(5)]

Method of Recruitment, Field of Selection and Minimum Qualifying Service in Lower Grades for appointment to posts in Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) and Composition of Departmental Promotion Committee for considering cases of Appointment of Officers to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) posts included in Indian Information Service (Group 'A')

Grade	Method of recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for appointment to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)	Composition of selection committee for considering cases of appointment of officers to Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)
(1)	(2)	(3)	(4)
Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) Pay Band-4, Rs. 37,000 – 67,000 with Grade Pay of Rs. 8,700	Promotion by seniority subject to suitability	Officers regularly appointed to Junior Administrative Grade of the Service who have entered fourteenth year of service in Group 'A' posts on the 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member was recruited.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Principal Director General (Media and Communication), Press Information Bureau —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Member 3. Additional Secretary/Joint Secretary (Administration), Ministry of Social Justice and Empowerment —Member

“Note : The Junior Administrative Grade officers who entered the service by the method of promotion in the Junior Time Scale of IIS Group 'A' shall also be considered eligible for appointment in the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade), provided they have entered the fourteenth year of service in Group 'A' by following the Rules governing seniority along with officers who entered the fourteenth year of service through the method of direct recruitment.”

SCHEDULE VI

[See rule 12(1)]

Composition of Screening Committee for consideration of Non-Functional Upgradation for Officers of Indian Information Service Group 'A' in PB-3 and PB-4

Sl. No.	Name of the post, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale to which upgradation is to be granted	Composition of Screening Committee
(1)	(2)	(3)
1.	Selection Grade (Higher Administrative Grade) Pay Band—Rs. 67,000 – (annual increment @ 3%)—79,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman 2. Principal Director General (Media and Communication), Press Information Bureau—Member 3. Special Secretary in the Ministry/Department of Government of India—Member

(1)	(2)	(3)
2.	Senior Administrative Grade (Pay Band-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000)	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman 2. Principal Director General (Media and Communications), Press Information Bureau—Member 3. Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member
3.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) (Pay Band-4, Rs. 37,400- 67,000 with Grade Pay of Rs. 8,700)	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 3. Additional Director General, Press Information Bureau, New Delhi—Member
4.	Junior Administrative Grade (Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600)	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 3. Additional Director General, Press Information Bureau, New Delhi—Member
5.	Senior Time Scale Grade (Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 6,600)	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member 3. Additional Director General, Press Information Bureau, New Delhi—Member

[F. No. A-42012/1/2010-IIS]

NEERAJ KUMAR, Under Secy.